फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रामपाल वगै. बनाम राधापुरा वगै.

मुकदमा नम्बर 76/2024 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4/6/25	प.क. उप. बहस प्रा.पत्र 07 R 11 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र 07 R 11 हेतु दिनांक 18/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	18/6/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	19/6/25	प.क. उप. बहस प्रा.पत्र का श्रवण किया गया। प्रा.पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 का प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में व बाद बाधित होने तथा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वर्ष नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0 / पीठासीन अधिकारी:-श्रीमती
वाद संख्या :-76 / 2024
रामपाल वगै0
(वाद बाबत
प्रार्थना प
प्रार्थी
इस आ
उक्त

(जयपुर ग्रामीण)

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :—76/2024

रामपाल वगै0 बनाम राघवदास वगै0

(वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व

सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांकः—19.06.2025

प्राथी/प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी वाद वादी पक्षकारान की ओर से ग्राम जैतपुरा (भोजलावा), पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, के खसरा नम्बर 703, 704 कुल किता 02 का कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 709, 710, 711, 712 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 भाग भूमि के बाबत एडवर्स पजेशन के आधार बनाकर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया गया। दौराने विचारण प्रतिवादी पक्षकारान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के रहते वादी पक्षकारान की ओर से मामले में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर मंजूर करवाया गया। जिसके उपरान्त वादी पक्षकारान की ओर से उक्त उनवानी प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 23.12.2024 को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संशोधन में वादी पक्षकारान की ओर से वादपत्र की मूल भावना व प्रकृति के विरूद्व जाकर, प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री कालूराम सामोता के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2008 व प्रतिवादी संख्या 5 बिहारीलाल सैनी पुत्र श्री गोधराज सैनी के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2014 को शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार वादी पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत वाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री कालूराम सामोता के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2008 व प्रतिवादी संख्या 5 बिहारीलाल सैनी पुत्र श्री गोधराज सैनी के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2014 को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने बाबत चुनौती देते हुए किसी भी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई वाद व कार्यवाही प्रस्तुत नही की गई है, बल्कि अस्वच्छ हाथों से न्यायालय हाजा के समक्ष ही न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से परे जाकर वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में प्रश्नगत विक्रय पत्रों को प्रभावहीन व शुन्य घोषित करने का अनुतोष प्रदान करने की अधिकारीता केवल मात्र सिविल न्यायालय

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को प्राप्त है। वादी पक्षकारान ने न्यायशुल्क अदायगी से बचने के लिए जानबुझकर बदनियती से उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके चलते श्रीमान न्यायालय हाजा को उक्त उनवानी वाद सुनवाई कर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में कतई चलने योग्य नही है, तथा बार्ड बाई लॉ होने के चलते इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कोई वाद कारण वास्तव में कभी भी उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण की ओर से बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुये ही उक्त उनवानी वाद पत्र में फौरी तरीके से नुमाईसी तथ्य अंकित करते हुए मिथ्या वाद हेतुक की रचना कर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जो बिना समुचित वाद हेतुक की उत्पत्ति के प्रस्तुत उक्त उनवानी वाद पत्र कतई चलने योग्य नहीं है। तथा वाद हेतुक के अभाव में बार्ड बाई लॉ होने के चलते उक्त उनवानी वाद इसी स्टेज पर खारीज किये जाने योग्य है। वादी के उक्त उनवानी वादपत्र में एडवर्स पजेशन के आधर पर खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। जबकि वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा ही नहीं है। वादीगण द्वारा कपोल कल्पित भ्रामक बातों का अंकन करते हुए निर्बाध कब्जा होने का मिथ्या तथ्य अंकित कर एडवर्स पजेशन को आधार बनाकर वाद पेश किया गया है। एडवर्स पजेशन प्रतिरक्षात्मक सिद्धान्त है ना कि उक्त सिद्धान्त विधिक अधिकार है। मिन प्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 5 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2014 को श्रीमती मन्नी देवी पत्नि कालूराम सामोता निवासी ग्राम नयाबास (टांकरडा) तहसील चौमूँ जिला जयपुर से समुचित प्रतिफल अदा कर खरीद किया गया है। जिसके बाद राजस्व अधिकारीयों कर्मचारियों द्वारा मौके पर मिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जा काश्त व रिकॉर्ड की तमाम तफतीश हांसिल कर इतमिनान से जलशे आम में मिन प्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 5 के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही को विधि अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड किया गया है। मिन प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दिवस तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। मिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 के नाम खातेदारी हक अधिकार नामान्तकरण की कार्यवाही चुनौती नहीं देने के चलते अन्तिम वैधता रखती है। वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड पूर्व में सम्वत् 2023 से 2026 के समय भगवानदास चेला माधवदास के नाम से रही है जिसके बाद खातेदारी कब्जा काश्त नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड राघवदास चेला भगवानदास व रावदास द्वारा वादग्रस्त पर जौ, गैंहुँ, सरसों आदि की फसलो की काश्त किया जाना मुताबिक राजस्व रिकार्ड पूर्णतया जाहिर है। राघवदास के निर्बाध कब्जा काश्त खातेदारी काश्तकारी के सम्यक अधिकारों के चलते राधवदास द्वारा उक्त भूमि वादग्रस्त का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के किया जाकर विधिक कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा श्रीमती मन्नी देवी के द्वारा भूमि वादग्रस्त का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के मिन प्रतिवादी संख्या 5 को किया जाकर भूमि वादग्रस्त का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त संभलाया गया है। जिसके उपरान्त राजस्व अधिकारीयों कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण विधिनुसार इतमिनान कर जलशेआम में मिन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अमल दरामद किया गया है। मिन प्रतिवादी संख्या 5 का नाम वर्तमान जमाबन्दी में बदस्तुर दर्ज चला आ रहा है तथा मिन प्रतिवादी संख्या 5 ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर तमाम काबिज काश्त उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी सूरत में बिना कब्जे व बिना राजस्व रिकार्ड व बिना किसी विधिक अधिकार के प्रस्तुत वादीगण का उक्त उनवानी वाद कतई चलने योग्य नहीं है। संशोधित वाद पत्र विधि अनुसार दो प्रतियों प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है परन्तु वादीगण की ओर से वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत नही किया गया है। जिस कारण उक्त उनवानी वाद पत्र विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर प्रस्तुत किया गया होने के कारण बार्ड बाई लॉ होने के चलते खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण की बदनियती वाद पत्र के मजमून से इस प्रकार साफ जाहिर होती हैं कि वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर एडवर्स पजेशन का मिथ्या आधार लेकर वाद पत्र तो प्रस्तुत कर दिया गया है परन्तु सम्पूर्ण वाद पत्र में कही भी वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण द्वारा कब्जात (Taking Possesion) की कोई तिथी साल दिवस का कोई अंकन नही किया है। इसके चलतें वादीगण का वाद बेसलेस (Baseless) होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एडवर्स पजेशन के आधार पर काश्तकारी अधिकारों की घोषणा के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नही किये गयें है। जिसके चलते वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद विधिक प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर दिये गये लैण्डमार्क निर्णयों की रोशनी में तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने बिना किसी विधिक अधिकार और बिना किसी बेसिक डाक्यूमेन्ट ऑफ सूट के उक्त वाद पेश किया है। जो केवल मात्र रंजिशवश हैरान व परेसान करने की बदनियत से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही वादी के किसी विधिक अधिकार का हनन हुआ है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने घोषणात्मक आज्ञप्ति चाही है। परन्तु घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु वाद का मूल्यांकन नहीं किया गया है। वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण चलने योग्य नहीं है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने घोषणात्मक आज्ञप्ति चाही है और मूल्यांकन वाद घोषणा नही किया है। वादीगण का वाद विधि विरूद्ध व विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं रह गया है। वादीगण किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर प्रस्तुत उक्त

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उनवानी वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण तथा बिना किसी विधिक अधिकार के, बिना किसी डाक्यूमेन्ट बेस ऑफ दी सूट के, बिना कब्जे के तथा मलिन मन से भ्रामक मिथ्या तथ्य रखकर, मौका स्थिति के विपरित वर्णन करतें हुये तथा वाद निहित विषयवस्तु जायदाद की बुनियादी जानकारी जाहिर किये बिना प्रस्तुत किये गये, उक्त आधारहीन व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकुल, विधि विरूद्ध, तुच्छ व तरंग करने के आशय से प्रस्तुत वाद पत्र है। इस कारण भी वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी संख्या 9 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी/वादीगण का विवादित आराजीयात के 1/2 भाग की खातेदारी भूमि एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि कुल किता 4 का कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर सम्पूर्ण का वाद पेश किया गया है, इसके साथ ही खसरा नम्बर 243 के 1/2 भाग का वाद उद्घोषणा का पेश किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही मिन अप्रार्थी/वादीगण के पूर्वज क्रमशः– स्व0 सीताराम, स्व0 झूँथा, स्व0 भूरा, स्व0 सुवा का कब्जा काश्त चला आ रहा था, उसके बाद उक्त भूमि पर इनके वारिसान मिन मिन अप्राथी/वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रस्तुत वाद पत्र में दौराने वाद व दौराने स्थगन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि का बेचान नुमाईशी बेचान, बिना कब्जे के प्रतिवादीया संख्या 4 श्रीमती मन्नी देवी पत्नी कालूराम सामोता जाति जाट, निवासी ग्राम नया बास टांकरडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर को बेचान किया गया। उक्त प्रतिवादीया संख्या 5 मन्नी देवी ने नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर बिहारी लाल सैनी पुत्र गोधराज प्रतिवादी संख्या 5 को बेचान कर दिया गया। जिस कारण प्रस्तुत वाद पत्र में नियमानुसार प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार प्रार्थना पत्र मंजूर होने उपरान्त संशोधित वाद पत्र पेश किया गया है। दौराने वाद बिना हक अधिकार के विक्रय पत्र किया गया है जो शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जो न्यायालय श्रीमान् को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त प्रकरण को सिविल न्यायालय में सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। बल्कि न्यायालय श्रीमान् को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त प्रकरण में जवाब आना शेष है तथा जवाब आने पर तनकीयात कायम की जानी है, प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठायी गई आपत्तियां विधिक आपत्तियां हैं, जिनका निस्तारण जवाब आने उपरान्त तनकीयात कायम की जाकर निस्तारण किया जाना है, प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा के खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थी/वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार खातेदारी की घोषणा सहायक अनुतोष है, मुख्य अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही मिन अप्रार्थी/वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा लगातार करते रहे है, उक्त भूमियों में मकानात, रहवाश, निवास, विद्युत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भूमि को नुमाईयशी विक्रय पत्र के आधार पर व बिना कब्जे के खरीद किया गया हैं, जिसके कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय पत्र के आधार पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। क्योकि प्रतिवादीया संख्या 4 मन्नी देवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को जो बेचान किया गया है, उक्त भूमि को प्रतिवादीया संख्या 4 मन्नी देवी ने भी दौराने वाद व स्थगन नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है, प्रस्तुत वाद दिनांक 23.08.2008 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 23.08.2008 को उभयपक्षो को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्दित किया गया था, उसके दौरान प्रतिवादी संख्या 1 राघवदास द्वारा दिनांक 01.10.2008 को बेचान किया गया था। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, विवादित भूमि खसरा नम्बर 242, 243 के खातेदार काश्तकार मूर्ति मन्दिर जानकीनाथ जरिये पुजारी भगवानदास रही है, जिसका खातेदार काश्तकार के कॉलम में मिन अप्रार्थी/वादीगण के पूर्वजो का नाम अंकित है, यानी मन्दिर मूर्ति खुद काश्त नहीं रही, इस कारण उक्त भूमियों का विक्रय पत्र नुमाईशी विक्रय पत्र है, जिनके आधार पर क्रेतागण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। मन्दिर के भूमि का नामान्तकरण पूजारी के नाम कानूनन नही होता है, जो नामान्तकरण राघवदास चैला भगवान दास प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हुआ वह गलत हुआ है, उसकी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब पेश किया जा रहा हैं। मन्दिर मूर्ति की भूमि कभी भी पूजारी के नाम नहीं की जा सकती हैं। ना ही मन्दिर कभी खुद काश्त रहा है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को ही जब कोई अधिकार प्राप्त नही है तो उसके आधार पर किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेताओं को भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। ना ही किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पर पेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 ने जरिये विक्रय पत्र भूमि क्रय की जाकर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी का वाद प्रतिवादीगण के हक में निष्पादित विक्रय पत्रों को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने व कब्जे काश्त (एडवर्स पजेशन) के आधार पर घोषणा चाही गई है। अप्रार्थी/वादीगण के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है। जो वाद एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रकृति से भिन्न होने सें चस्पा नही होते है। जबकि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम सम्वत् 2023 से आदिनांक तक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। प्रकरण में प्रश्नगत विक्रय पत्रो को प्रभावहीन व शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है एवं

mnt
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एडवर्स पजेशन के आधार पर काश्तकारी अधिकारो की घोषणा के संबंध में कोई प्रावधान नही किये गये है। वादीगण का वाद विधिक प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल द्वारा भिन्न–भिन्न समयों पर दिये गयें लैण्डमार्क निर्णयों की रोशनी में तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत एवं बिना किसी विधिक अधिकार के पेश किया गया है। जिस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer FULL BENCH, Jagdish VS Sitaram with reference TA No 2964/Jaipur of 1997 decided on 3rd June, 2011. In this Decision Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 232 Limitation Act, 1963- Article 64 & 65 – Reference- Khatedari rights whether can be conferred on the basis of the adverse possession – Provisions of Limitation Act have confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not conferred the tenancy rights – BOR has no legislative power to lay down a new law-Held, No tenancy rights can be conferred on the basic of adverse possession. And Hight Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Court No 17/Reserved, Case consolidation no 986 to 2005 Bharat Prasad VS DDC, Sitapur पेश किये गये है जो पूर्ण रूप से चस्पा होते है। ऐसे में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय ,उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत, बिना किसी विधिक अधिकार के पेश होने व बार्ड बाई लॉ होने तथा (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय ,उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत, बिना किसी विधिक अधिकार के पेश होने व बार्ड बाई लॉ होने तथा (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय) चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पिठासीन अधिकारी–: कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–76/2024

उनवान

1. रामपाल पुत्र स्व० श्री प्रभात
2. कालूराम पुत्र स्व० श्री घीसाराम
3. प्रहलाद पुत्र स्व० श्री धीसाराम
4. राजू पुत्र स्व० श्री घीसाराम
5. मन्नी बैवा स्व० श्री घीसाराम
6. उदाराम पुत्र स्व० सीताराम मृतक जरिये वारिसान
   6/1 सरजू देवी पत्नी उदाराम,
   6/2 गोवर्धन पुत्र उदाराम,
   6/3 रामेश्वर पुत्र उदाराम,
   6/4 नानू पुत्र उदाराम,
   6/5 जगदीश पुत्र उदाराम,
   6/6 बंशीधर पुत्र उदाराम,
   6/7 बिदामी देवी पुत्री उदाराम,
   6/8 कैलाश देवी पुत्री उदाराम,
   6/9 केसर देवी पुत्री उदाराम,
   6/10 मुन्नी देवी पुत्री उदाराम,
7. चौथमल पुत्र सीताराम
8. नाथूराम पुत्र सुवाराम मृतक जरिये वारिसान
   8/1 बिदामी देवी पत्नी नाथूराम,
   8/2 मातादीन पुत्र नाथूराम,
   8/3 शंकर लाल पुत्र नाथूराम,
   8/4 शिम्भुदयाल पुत्र नाथूराम,
   8/5 लाडा देवी पुत्री नाथूराम
   8/6 गुलाब देवी पुत्री नाथूराम,
   8/7 चन्दा देवी पुत्री नाथूराम,
   8/8 तोफन देवी पुत्री नाथूराम,
9. बनवारी पुत्र जग्गू
10. किशन लाल पुत्र भूराराम मृतक जरिये वारिसान
   10/1 सुजी देवी बैवा किशन लाल,
   10/2 मदन पुत्र किशन लाल.
   10/3 प्रभू पुत्र किशन लाल
   10/4 सुरेश पुत्र किशन लाल मृतक जरिये वारिसान
      10/4/1 हेमलता देवी पत्नी सुरेश,
      10/4/2 राज सैनी पुत्र सुरेश, उम्र 14 वर्ष नाबालिक
      10/4/3 हिमांशु सैनी पुत्र सुरेश उम्र 13 वर्ष

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

10/4/4 अमृता सैनी पुत्री सुरेश उम्र 10 वर्ष
नबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता हेमलता देवी पत्नी स्व० सुरेश
10/5 सन्तोष पुत्र किशन लाल,
10/6 राजू देवी पुत्री किशन लाल,
10/7 नंदी देवी पुत्री किशन लाल,
10/8 मुन्नी देवी पुत्री किशन लाल,
समस्त सभी जाति माली, ग्राम अनंतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के निवासी।

—वादीगण

बनाम

1. राघवदास चैला भगवान दास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम जैतपुरा, हाल आबाद चौपड कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. उप–पंजीयक चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी कालूराम सामोता, जाति जाट, निवासी ग्राम नयाबास, तन टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बिहारीलाल सैनी पुत्र गोधराज सैनी, ज़ाति माली, निवासी 198, बडा कुआं, रामनगर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–76/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय ,उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत, बिना किसी विधिक अधिकार के पेश होने व बार्ड बाई लॉ होने तथा (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ... . फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.06.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मोहर

दस्तखत .... mnf
सहायक [redacted] (फास्ट ट्रैक
ओहदा.... [redacted]

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

mnf
सहायक [redacted] (फास्ट ट्रैक)
[redacted]

Scanned with OKEN Scanner